अनुपालन

संख्या- 3859/नौ-1-10-8ई/95

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।

2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

4. समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1। लखनऊः दिनांक- 23 दिसम्बर, 2010

विषयः- नागर स्थानीय निकायों की बैठकों में महिला सदस्यों के साथ उनके संबंधियों आदि का उपस्थित न रहने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश सं0 583/9.1.96-8ई/95, दिनांक-15 फरवरी, 1996 द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उनके अधीन प्रवृत्त नियमावलियों के प्राविधानों के अनुसार यथा निर्वाचित अध्यक्ष या सदस्य ही बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं और बैठक में विचाराधीन बिन्दुओं पर अपने मतों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों की बैठकों में यह सुनिश्चित रहना आवश्यक है कि यथानिर्वाचित अथवा पदेन पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बैठक में सम्मिलित न होने पाये और न ही उसके द्वारा अपने किसी मत की अभिव्यक्ति बैठक में की जाये।

2. उपर्युक्त के अलावा उक्त शासनादेश दिनांक 15 फरवरी, 1996 द्वारा यह भी निर्देश जारी किये गये हैं कि यह भी सुनिश्चित रहना आवश्यक है कि महिला पदाधिकारियों के किसी भी संबंधी को यथास्थिति नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन की अनुमति प्रदान न की जाये जब तक उनके द्वारा विधिवत निरीक्षण हेतु आवेदन न किया गया हो और यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा ऐसे निरीक्षण की लिखित अनुमति प्रदान न कर दी गयी हो।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश सं 583/9.1.96-8ई/95 दिनांक 15 फरवरी, 1996 जिसका समस्त विवरण उपरोक्त प्रस्तरों में अंकित है, का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करते हुए समस्त महिला पदाधिकारियों के संज्ञान में भी ला लाने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश का उल्लंघन होने पर कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

आलोक रंजन
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, मा० लोकायुक्त, कार्यालय, उ०प्र० लखनऊ ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग ।
3. निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, नगर विकास विभाग ।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, नगर विकास विभाग/सूडा ।
5. वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे वेबसाईट पर लोड कराने का कष्ट करें ।
6. अध्यक्ष, स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ, बालाकादर रोड़, लखनऊ ।
7. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(डी०के० सिंह)
संयुक्त सचिव ।